प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः— एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016—17 / 23 / 1238-3 दिनांकः 18.05.16

विषयः— प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नवीन भवन सभागार, आवास—विकास परिषद, लखनऊ में दिनांक 30 अप्रैल 2016 को आहूत राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

दिनॉक 30 अप्रैल 2016 को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की गतिविधियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक नवीन भवन सभागार, आवास विकास परिषद, लखनऊ में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। बैठक में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों ने प्रतिभाग किया। राज्य स्तर से मिशन निदेशक श्री आलोक कुमार, अपर मिशन निदेशक डा0 काजल, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 एम0 आर0 मलिक, अधिशासी निदेशक— टी0एस0यू0 —आई0 एच0 ए0 टी0, वरिष्ठ सलाहकार—एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गयै निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार) 18/5/16
मिशन निदेशक

पत्रांकः— एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016—17 / 23 / तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
8. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. अपर अधिशासी निदेशक, सिफसा, लखनऊ।
10. समस्त प्रधानाचार्य, आर0एफ0पी0टी0सी0, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक एवं अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय / जिला कार्यकम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
3. **समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016–17 / 23 / दिनांकः 9-5-16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नवीन भवन सभागार, आवास–विकास परिषद, लखनऊ में दिनांक 30 अप्रैल 2016 को आहूत राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

दिनॉक 30 अप्रैल 2016 को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की गतिविधियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक नवीन भवन सभागार, आवास विकास परिषद, लखनऊ में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। बैठक में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों ने प्रतिभाग किया। राज्य स्तर से मिशन निदेशक श्री आलोक कुमार, अपर मिशन निदेशक डा0 काजल, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 एम0 आर0 मलिक, अधिशासी निदेशक– टी0एस0यू0 –आई0 एच0 ए0 टी0, वरिष्ठ सलाहकार–एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / एम0 एण्ड ई0 / 2016–17 / 23 / 1238-3-12 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
6. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
8. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
9. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, लखनऊ।
10. समस्त प्रधानाचार्य, आर0एफ0पी0टी0सी0, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त महाप्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक एवं अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय / जिला कार्यकम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनॉक 30 अप्रैल 2016 का कार्यवृत्त

दिनॉक 30 अप्रैल 2016 को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की गतिविधियों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक नवीन भवन सभागार, आवास विकास परिषद, लखनऊ में की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा की गई। बैठक में समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मण्डलीय परियोजना प्रबंधकों ने प्रतिभाग किया। राज्य स्तर से मिशन निदेशक श्री आलोक कुमार, अपर मिशन निदेशक डा0 काजल, महानिदेशक परिवार कल्याण डा0 एम0 आर0 मलिक, अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 –आई0 एच0 ए0 टी0, वरिष्ठ सलाहकार–एन0एच0एम0, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय, परिवार कल्याण महानिदेशालय एवं एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 के अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 ने समीक्षा बैठक प्रारम्भ की।

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

1. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय एवं कार्यकारी समिति की बैठकों के कार्यवृत्त एन0एच0एम0 उ0प्र0 के वेब पोर्ट पर अपलोड कराने हेतु राज्य स्तर पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन अनुभाग की ई मेल पर दिनॉक 10 मई 2016 तक प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त पी0डी0एफ फाईल के रूप में भेजना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

2. मिशन निदेशक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक, कार्यकारी समिति की बैठक एवं डी0एल0वी0एम0सी0 की बैठक के कार्यवृत्त एन0एच0एम0 पोर्टल पर जनपद स्तर से ही अपलोड कराने के निर्देश दिये गये। श्री बी0के0जैन, महाप्रबंधक (एम0आई0एस0) द्वारा एन0एच0एम0 पोर्टल पर डी0एच0एस0 की बैठकों के कार्यवृत्त को अपलोड करने का तरीका ऑनलाईन कर बताया गया। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस संबंध में दिये गये निर्देश का पत्र उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही पोर्टल पर अपलोड करने की आई0डी0 एवं पासवर्ड भी पत्र के साथ मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

3. भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के संबंध में जारी किये गये निर्देश की रंगीन पुस्तिका की एक प्रति जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, एक प्रति मुख्य चिकित्साधिकारी एवं एक प्रति मण्डलीय अपर निदेशकों हेतु बैठक के दौरान उपलब्ध कराते हुये निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों को नियमित किया जाये।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

4. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परिवार नियोजन हेतु कियान्वित इण्डेमिनिटी स्कीम का अध्ययन स्वयं कर निर्धारित अवधि में बैठकों को संपादित कराकर जनपदीय संस्तुति क्लेम सेटलमेण्ट हेतु राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। संयुक्त

निदेशक, परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि इण्डेमिनिटी स्कीम का मैनुअल की प्रति हार्ड कॉपी के रूप में प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मैनुअल की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट से डाउन लोड कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

5. मिशन निदेशक द्वारा माह मार्च 2016 में अधिकांश जनपदों द्वारा पूरे वर्ष में अत्यधिक व्यय माह मार्च 2016 में दर्शाने की स्थिति पर अत्यधिक अप्रसन्नता व्यक्त की गई। साथ ही अधिकांश जनपदों में बिल वाउचर एक ही पैटन पर पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह शासकीय नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

6. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के नियमों का पालन शत प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाये। ऐसे जनपद जहॉ अभी बायो मेडिकल वेस्ट का टेण्डर किया जाना है वे टेण्डर में शर्त रखें कि यह टेण्डर एक वर्ष अथवा राज्य स्तर से केन्द्रीयकृत एजेंसी के चयन, जो पहले हो तक मान्य रहेगा। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

7. प्रमुख सचिव, द्वारा जनपद कन्नौज, लखनऊ, अमरोहा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, सीतापुर, फतेहपुर, बलिया, कुशीनगर, उन्नाव, बांदा, ललितपुर, सम्भल, शाहजहॉपुर, हमीरपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, सिद्वार्थनगर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय माह मार्च 2016 में 33.47 प्रतिशत से 53.78 प्रतिशत व्यय करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह व्यय करना सुनिश्चित करें। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न की जाये। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

8. प्रमुख सचिव द्वारा वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0 को निर्देशित किया गया कि जनपद कन्नौज में वित्तीय वर्ष 2015–16 में हुए व्यय का निदेशालय और एन0एच0एम0 से टीम भेजकर आडिट कराकर रिपोर्ट दिनॉक 15 मई 2016 तक शासन में भेजना सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम/परिवार कल्याण)**

9. प्रोक्योरमेण्ट आफ ड्रग्स में जनपद बांदा में मात्र 12.82 लाख व्यय को गम्भीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक सी0एम0एस0डी0, चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय को स्वयं जनपद बांदा जाकर मुख्य चिकित्साधिकारी, बांदा के कार्यालय में वर्ष 2015–16 में किये गये दवा क्रय की जॉच कर रिपोर्ट 15 मई 2016 तक शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। साथ ही दवा क्रय में लिपिक/फार्मासिस्ट की भूमिका की भी जॉच कर कार्यवाही की संस्तुति प्रेषित करें। **(कार्यवाही– निदेशक सी0एम0एस0डी0)**

10. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बजट से दवाओं का क्रय सुनिश्चित करें। तत्पश्चात राज्य बजट से क्रय करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

11. प्रमुख सचिव द्वारा जनपद अमरोहा, बलिया, फैजाबाद एवं कन्नौज में उपकरणों के क्रय का आडिट कराकर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– महानिदेशक चि0 एवं स्वा0)

12. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बायो मेडिकल वेस्ट के लिए वर्ष 2016–17 हेतु जो टेण्डर जनपद स्तर से किये जाये उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि केन्द्रीयकृत बायो मेडिकल वेस्ट हेतु टेण्डर राज्य स्तर से स्वीकृत होने अथवा 31 मार्च 2017 जो भी पहले हो तक का ही अनुबंध एजेंसी के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

13. प्रमुख सचिव द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भोजन पर अत्यधिक कम व्यय होने पर जनपद मऊ, चन्दौली, अमेठी एवं संत कबीर नगर में मात्र 34.22 प्रतिशत तक ही व्यय किये जाने को गम्भीरता से लिया गया। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भोजन हेतु स्थानीय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

14. जनपद गाजीपुर में 26 से 29 मार्च 2016 को ड्रग्स एवं कन्ज्यूमेंबल्स मद के तहत वाउचर संख्या 634, 595, 560, 621, 622, 620, 596, 599 से 611, 557 के माध्यम से रू0 623700, 262500, 245461, 231000(दो बार), 217140, 210910, 207900(आठ बार) , 204750, 203834, 201600(सात बार), 173181, 157500 कर 42 वाउचर के सहारे एफ0एफ0आर0 कोड ए 1.6.1.ए से कुल रू0 74 लाख 15 हजार 547 मात्र का भुगतान किया गया। प्रमुख सचिव द्वारा वित्त नियंत्रक एन0एच0एम0 और वित्त नियंत्रक चिकित्सा स्वास्थ्य को संयुक्त जॉच दल बनाकर जनपद गाजीपुर का आडिट कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जनपद में जिला लेखा प्रबंधक/फार्मासिस्ट/लिपिक की भूमिका की भी जॉच कर ली जाये। **(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0/चिकित्सा स्वास्थ्य)**

15. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपदों में वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु जो धनराशि कमिटेड करायी है, से गतिविधि संपादित कराकर भुगतान प्रतिमाह करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

16. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य स्तर से प्रेषित दिशानिर्देशों के क्रम में समस्त संविदाकर्मियों का नवीनीकरण एवं प्रत्येक माह ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**

17. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त विभाग के उच्चाधिकारियों तथा जनपद के अन्य विभागों से सांमजस्य स्थापित करें, जिससे कार्यो को सुचारु रुप से सम्पादित किये जा सकें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

18. प्रमुख सचिव द्वारा जनपद गौतमबुद्वनगर, झांसी, गाजियाबाद, अलीगढ़, बदायुॅ, इटावा, चन्दौली, बुलन्दशहर, आगरा एवं शामली में वित्तीय वर्ष 2015–16 संस्थागत प्रसव मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कम व्यय करने पर नियम 10(2) के तहत उक्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश वित्त नियंत्रक एन0एच0एम0 एवं वित्त नियंत्रक परिवार कल्याण को दिये गये।

(कार्यवाही– वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0/परिवार कल्याण)

19. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी चन्दौली और भदोही को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष आशा इंसेटिव भुगतान चन्दौली में मात्र 53.08 प्रतिशत एवं भदोही में मात्र 77.35 प्रतिशत होने के कारणों की जॉच करने एवं जिन ब्लाकों में आशाओं का भुगतान लंबित पड़ा हो के

चिकित्सा अधीक्षकों/प्रभारी चिकित्साधिकारियों की चार्जशीट तैयार कर 15 दिनों में शासन को प्रेषित करें। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्साधिकारी, भदोही एवं चन्दौली)**

20. जनपद अलीगढ़, सन्तकबीरनगर और वाराणसी में विद्युत हेतु पुर्नवियोग करने के बाद भी आवंटित धनराशि सरेण्डर किये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)**
21. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि हौसला साझेदारी पोर्टल के माध्यम से समस्त आवेदनों को अतिशीघ्र सत्यापन कराकर सक्षम कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
22. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सरकारी चिकित्सालयों में फायर सेफ्टी की स्थिति की रिपोर्ट महानिदेशालय को एक सप्ताह में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
23. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों (बरेली, बुलंदशहर, शामली एवं भदोही को छोड़कर) को वर्ष 2015–16 के जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का बकाया भुगतान 31 मई 2016 तक करने के निर्देश दिये गये।

    (कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)
24. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मातृत्व सप्ताह के दौरान ट्रैक की गई लाभार्थी महिलाओं को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर 10 दिनों के भीतर पंजीकृत करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी को जनपद स्तर पर एम0सी0टी0एस0 पोर्टल का यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से संबंधित जनपदवार रिपोर्ट महाप्रबंधक एम0आई0एस0, एन0एच0एम0 अवलोकित करायें। **(कार्यवाही–महाप्रबंधक, एम0आई0एस)**
25. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से फैसीलिटी वार वर्क प्लान जनरेट कराकर प्रत्येक ए.एन.एम. को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
26. अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 द्वारा UPHMIS पोर्टल का डिमोन्सट्रेशन कर समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग को विस्तार से बताया गया। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2016–17 में बी0पी0एम0यू0 ऑपरेशन कास्ट से रिपोर्टिंग फार्मेट की फोटोकॉपी कराकर प्रत्येक फैसीलिटी के प्रभारी और ए0एन0एम0 को उपलब्ध करा दें। **(कार्यवाही– समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
27. अधिशासी निदेशक टी0एस0यू0 द्वारा जनपद बिजनौर, बागपत, सम्भल, अमरोहा, शामली, हापुड़, अलीगढ़, फिरोजाबाद, औरैया, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, बलिया के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के भीतर मोबाईल कुंजी का ब्लाक स्तरीय आशा प्रशिक्षण का कलैण्डर डी0सी0पी0एम0 के माध्यम से बनवाकर ई–मेल mobile.kunji@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य समस्त जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मोबाईल कुंजी का वितरण एवं मोबाईल कुंजी का ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण के उपरान्त आशाओं की उपस्थिति शीट उक्त ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

28. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि संविदा पर तैनात महिला चिकित्साधिकारियों को जनपद की प्रथम सन्दर्भन इकाई पर तैनात करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
29. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद मुख्यालय स्तर पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर के अधिकारी को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नोडल अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी द्वारा टी0एम0आई0एस0 को अपडेट किया जायेगा। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
30. अपर मिशन निदेशक द्वारा एस0बी0आर0टी0 एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में विस्तार से मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवगत कराया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की तिथि प्रत्येक माह की 9 तारीख भारत सरकार स्तर से तय की गई हैं। राज्य स्तर से प्रेषित दिशानिर्देशों का भली भॉति अध्ययन कर योजनाओं को जनपद की प्रत्येक इकाई पर क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
31. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में वैक्सीन कैरियर साधन से प्रत्येक सत्र में भेजना सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में ए0एन0एम0 द्वारा वैक्सीन कैरियर जनपद/ब्लाक मुख्यालय से टीकाकरण करने हेतु नहीं ले जाया जायेगा। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
32. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि मिशन इन्द्रधनुष के तहत चलाये जा रहे अभियान के उद्घाटन में माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायक, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम के बारे में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाये। आगामी अभियान 7 मई, 7 जून एवं 7 जुलाई को चिन्हित 55 एच0पी0डी0 जनपदों में संपादित होगा। **(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
33. पूर्ण प्रतिरक्षण की समीक्षा करने पर पाया गया कि एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पूर्ण प्रतिरक्षण का प्रतिशत अत्यधिक कम पाये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, गाजियाबाद एवं श्रावस्ती में टीम भेजकर जॉच कराने के निर्देश दिये गये। जॉच में आशाओं की तैनाती, एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से निकाली गई कार्य योजना आदि की जानकारी को भी शामिल किया जाये। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
34. प्रमुख सचिव द्वारा उपमहाप्रबंधक (आई0ई0सी0) को निर्देशित किया गया कि मिशन इन्द्रधनुष के तहत पॉच जनपदों मे किये गये प्रचार प्रसार की रिपोर्ट का सत्यापन टीम भेज कर कराना सुनिश्चित किया जाये। **(कार्यवाही–उपमहाप्रबंधक आई0ई0सी0)**
35. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के कम में अवशेष मानव संसाधन का चयन 31 मई 2016 के पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
36. आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के तहत संदर्भित बच्चों का उच्च चिकित्सा इकाईयों में हुए इलाज का प्रतिशत 98.74 अधिकतम जनपद जालौन, एटा, सन्तकबीरनगर, बरेली, बागपत, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, शामली, इलाहाबाद एवं आगरा में न्युनतम 86.96 प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करते हुए मिशन निदेशक द्वारा इन जनपदों से संदर्भित बच्चों की नामवार सूची मंगवाने और किये गये इलाज की रिपोर्ट का संकलन कर जॉच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर मिशन निदेशक के अवलोकनार्थ प्रेषित करने के निर्देश महाप्रबंधक आर0बी0एस0के0 को दिये गये। मिशन निदेशक द्वारा मुख्य

BH

चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर पर ऑकडे भेजने के पूर्व ऑकडों का परीक्षण अपने स्तर पर अवश्य करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—महाप्रबंधक, आर0बी0एस0के0/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

37. मिशन निदेशक द्वारा आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम के तहत प्रत्येक टीम हेतु लैपटॉप को जनपद स्तर पर डी0एच0एस0 द्वारा क्रय कराये जाने के बारे में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवगत कराया गया। महाप्रबंधक आर0बी0एस0के0 को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देश में यह उल्लेख किया जाना सुनिश्चित किया जाये कि जिन टीमों में चिकित्सक/फार्मासिस्ट/अन्य टीम कर्मी कम्प्यूटर में दक्ष हो, उन्ही टीमों हेतु लैपटाप क्रय किया जाये। **(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
38. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से प्रेषित दिशानिर्देशों के क्रम में आर0बी0एस0के0 के वाहन टैक्सी परमिट के ही अनुबंधित किये जाये। एक सप्ताह में किराये पर लिये गये वाहनों की सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
39. आर0के0एस0के0 कार्यक्रम की स्थिति जनपद चन्दौली में अत्यधिक खराब पाई गई। जनपद चन्दौली में मात्र 92 लाभार्थियों को आई0एफ0ए0 प्रदान किया गया। मिशन निदेशक द्वारा 10 प्रतिशत से कम उपलब्धि वाले जनपदों यथा चन्दौली, कासगंज, बांदा, मउ, रामपुर, वाराणसी, फिरोजाबाद, कन्नौज, बहराईच, हमीरपुर, प्रतापगढ़, गोण्डा, एटा, सुलतानपुर, बिजनौर, इलाहाबाद, मुरादाबाद, श्रावस्ती, पीलीभीत एवं मथुरा के मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में कार्यक्रम की समीक्षा कर लें। अगली बैठक में कार्यक्रम में क्या सुधार आया, रिपोर्ट के साथ भाग लें। जनपद हरदोई के मुख्य चिकित्साधिकारी को विफ्स के लक्ष्य के विपरीत 124.2 प्रतिशत की उपलब्धि की रिपोर्ट की पुनः समीक्षा करने एवं भविष्य में ऐसी रिपोर्ट राज्य स्तर पर न प्रेषित किये जाने के निर्देश मिशन निदेशक द्वारा दिये गये। **(कार्यवाही—संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**
40. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 28 जुलाई 2016 से पूर्व सेनेटरी नैपकिन्स राज्य स्तर से प्रेषित दिशानिर्देशों के अनुरूप क्रय करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
41. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को अवगत कराया गया कि जनपद एवं मण्डलीय अपर निदेशक स्तर पर नसबन्दी करने हेतु टीमों का गठन किया जाये, जो माह में 20 दिन नसबन्दी सेवायें ही प्रदान करेंगे। **(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)**
42. प्रमुख सचिव द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक परिवार कल्याण को निर्देशित किया गया कि बैठक में जो निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी अनुपस्थित है, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सन्दर्भ शासन को प्रेषित करें। **(कार्यवाही—महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य/परिवार कल्याण)**
43. अपर मिशन निदेशक द्वारा महाप्रबंधक परिवार नियोजन को निर्देशित किया गया कि राज्य स्तर से निर्देश जारी करायें कि प्रत्येक आशा गॉव में नवविवाहित दम्पत्तियों का विवरण एकत्र कर परिवार नियोजन सेवाओं के प्रति जागरूक करें। **(कार्यवाही—महाप्रबंधक, परिवार नियोजन)**
44. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी स्कीम के तहत प्राप्त क्लेम को समयबद्व तरीके से निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

45. प्रमुख सचिव द्वारा 'प्यारी बिटिया' पोर्टल पर जनपद स्तर पर किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट, सलाहकार समिति की बैठकों के कार्यवृत्त आदि अपलोड करने की स्थिति को पत्रावली में पृथक से प्रेषित करने के निर्देश दिये। **(कार्यवाही–महानिदेशक, परिवार कल्याण)**

46. अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य स्तर से 25 एच0पी0डी0 जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में नर्स मेण्टर का चयन कर कार्य हेतु भेजा गया हैं। नर्स मेण्टर की योगदान आख्या प्राप्त कर जनपद की प्रसव इकाईयों में रोस्टरवार मेण्टरिंग कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

47. आयुष कार्यक्रम में जनपद औरैया, बागपत, बांदा, बदायू, एटा, फैजाबाद, फिरोजाबाद, जालौन, कानपुरदेहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, मिर्जापुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सुलतानपुर और वाराणसी में आयुष विधा की दवा क्रय हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में कोई व्यय नही किया गया है जबकि आयुष ओ0पी0डी0 बढी है। प्रमुख सचिव द्वारा आयुष विधा की दवायें क्रय न किये जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की गई। प्रमुख सचिव द्वारा आयुष की दवाओं को भी DPICS साफटवेयर के माध्यम से प्रदर्शित करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–निदेशक, सी0एम0एस0डी0)

48. प्रमुख सचिव द्वारा जनपद स्तर पर डी0एच0ई0आई0ओ0 को आई0ई0सी0 / बी0सी0सी0 का. नोडल अधिकारी नामित किया गया। प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद एवं ब्लाक स्तर पर गार्ड फाईल बनवाना सुनिश्चित करें जिसमें समस्त शासनादेश एवं निर्देशों का संकलन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

49. कम्युनिटी प्रोसेस के तहत आशाओं का भुगतान जनपद ललितपुर, झांसी, फिरोजाबाद एवं बुलंदशहर में पूर्ण पाये जाने पर संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, मण्डलीय परियोजना प्रबंधक, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डी0सी0पी0एम0 की सराहना प्रमुख सचिव द्वारा की गई।

50. एच0एम0आई0एस0 के आधार पर प्रदेश के समस्त जनपदों की रैंकिंग कर सबसे खराब 10 जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण लिये जाने के निर्देश प्रमुख सचिव द्वारा दिये गये।

(कार्यवाही–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

51. प्रमुख सचिव द्वारा जनपद मेरठ, सिद्वार्थनगर एवं मुजफफरनगर में माह जनवरी से मार्च 2016 में बेड आक्यूपेंसी की खराब स्थिति पाये जाने पर संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को दिये गये।

(कार्यवाही–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

52. माह जनवरी से मार्च 2016 की सर्जरी रिपोर्ट के अनुसार जनपद सिद्वार्थनगर एवं बस्ती में तीन–तीन सर्जन, प्रतापगढ, कानपुर नगर, हापुड एवं फतेहपुर में दो–दो सर्जन, हमीरपुर, बागपत, गाजियाबाद, जी0बी0नगर में एक एक सर्जन द्वारा सर्जरी न किये जाने पर प्रमुख सचिव द्वारा संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिनॉक 7 मई 2016 तक चिन्हित सर्जनों के विरूद्व चार्जशीट तैयार कर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। प्रत्येक सर्जन का फॉलोअप महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य स्तर पर किया जायेगा। उक्त जनपदों से चार्जशीट प्राप्त न होने की दशा में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारियों का स्पष्टीकरण लेते हुए कार्यवाही हेतु संस्तुति के साथ शासन को प्रकरण संदर्भित करना सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी / महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

53. अपर मिशन निदेशक द्वारा आर0के0एस0के0 कार्यक्रम के तहत्त पीयर एजूकेटर का चयन, जारी किये गये शासनादेश के अनुरूप कर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

54. प्रमुख सचिव द्वारा जनपद प्रतापगढ, सहारनपुर, रायबरेली, बागपत, बुलंदशहर, हरदोई, मिर्जापुर, बलिया, गोरखपुर, बहराईच, फतेहपुर, सीतापुर, मउ, देवरिया, फैजाबाद, आजमगढ एवं सुलतानपुर के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा डिपिक्स के माध्यम से प्राप्त बिलों का सत्यापन न किये जाने पर प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

55. प्रमुख सचिव द्वारा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2015—16 में डिपिक्स में दवाओं की लिस्टिंग, वर्कआर्डर, प्राप्ति, वेण्डर को भुगतान आदि की पूर्ण रिकार्डिंग किये जाने के निर्देश जारी कराये जाये। समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों का दायित्व होगा कि स्टोर के फार्मेसिस्ट, ऑपरेटर, लेखा लिपिक आदि को एक साथ बैठाकर पूर्ण फिडिंग कराना सुनिश्चित करायें। (कार्यवाही—महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य/समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

56. प्रमुख सचिव द्वारा निदेशक—सी0एम0एस0डी0 को निर्देशित किया गया कि डिपिक्स के माध्यम से संपूर्ण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिमाह अवलोकित कराना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही—निदेशक, सी0एम0एस0डी0)

57. प्रमुख सचिव द्वारा डिपिक्स में जनपद स्तर पर क्रय समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को चढ़ाने की व्यवस्था किये जाने के निर्देश निदेशक सी0एम0एस0डी0 को दिये।

(कार्यवाही—निदेशक, सी0एम0एस0डी0)

58. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि माह जुलाई 2016 में कई दवाओं की आर0सी0 दर अनुबंध समाप्त हो रही है। अतः जनपद की आवश्यक्ता अनुरूप दवाओं के आर्डर अभी से जारी कर दवाओं को प्रोक्योर करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

59. प्रमुख सचिव द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई कि 108 एवं 102 एम्बूलेंस सेवाओं के प्रत्येक माह दो तारीखों की सत्यापन सूची अगले 10 दिनों में महानिदेशालय को प्राप्त न होने की दशा में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जायेगी।

(कार्यवाही—संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)

60. प्रमुख सचिव द्वारा अतिकुपोषित बच्चों को घर से चिकित्सालय तक 102 एम्बूलेंस से ले जाने हेतु शासनादेश जारी कराने के निर्देश महानिदेशक, परिवार कल्याण को दिये।

(कार्यवाही—महानिदेशक, परिवार कल्याण)

61. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 108 एवं 102 एम्बूलेंस से लाये गये मरीजों की सूचना प्रत्येक चिकित्सालय की इमरजेंसी में तैनात कर्मी निर्धारित रजिस्टर में लिखेंगे और डयूटी पर तैनात ई0एम0ओ0/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति केस के सम्मुख हस्ताक्षर किया जायेगा। (कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

62. राज्य स्तर से हाल ही में भेजी गई 108 एम्बूलेंसों को जनपद में निर्धारित स्थान (Black spots) आवंटित करने का कार्य मुख्यचिकित्साधिकारी दो दिनों में करना सुनिश्चित करें। इस हेतु जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जी0वी0के0—ई0एम0आर0आई0 के साथ संयुक्त बैठक करना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

63. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपदों में सांसद निधि से एम्बूलेंस प्राप्त करने से पूर्व शासन से अनुमति अवश्य प्राप्त की जाये। साथ ही साथ वाहन चालक की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

64. प्रमुख सचिव द्वारा जी0वी0के0—ई0एम0आर0आई0 के सी0ओ0ओ0 को निर्देशित किया गया कि ऐसे गॉवों की सूची जहॉ से 102 एवं 108 को एक भी कॉल प्राप्त नही हुई है, महाप्रबंधक कम्यूनिटी प्रोसेस, एन0एच0एम0 को उपलब्ध करा दें जिससे महाप्रबंधक कम्यूनिटी प्रोसेस जनपद में तैनात डी0सी0पी0एम0 एवं ब्लाक में तैनात बी0सी0पी0एम0 के माध्यम से इन गॉवों की आशाओं के माध्यम से सेवाओं का प्रचार प्रसार करा सकेंगे। **(कार्यवाही—महाप्रबंधक, कम्यूनिटी प्रोसेस)**

65. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद वाराणसी, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, संत रविदास नगर, चन्दौली एवं सुलतानपुर में कालाजार से बचाव के संपूर्ण प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही जिला चिकित्सालयों में रोगियों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे मरीज जिनका उपचार बी0एच0यू0 में हो रहा है या हो चुका है ऐसे गॉवों में आई0आर0एस0 स्प्रे कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इन जनपदों की समस्त आशाओं को कालाजार के बारे में अवगत करा दिया जाये। **(कार्यवाही—संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी)**

66. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी सिद्वार्थनगर, महाराजगंज एवं फिरोजाबाद से टी0बी0 एच0आई0वी0 की खराब स्थिति के लिए स्पष्टीकरण लिये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया। महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य प्राप्त स्पष्टीकरण को संकलित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को स्पष्ट संस्तुति के साथ सन्दर्भित करेंगे।

(कार्यवाही— महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)

67. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में डाट्स प्रोवाईडर के मानदेय का भुगतान ब्लाक स्तर से शत प्रतिशत करवाना सुनिश्चित करायें। साथ ही साथ जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को भी एजेण्डा में शामिल कर समीक्षा कराने के निर्देश समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को दिये।

(कार्यवाही— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी)

अपर मिशन निदेशक द्वारा सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए समीक्षा बैठक का समापन किया गया।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक